



2026:AHC:19525

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2604 सन् 2026

शिवराज सिंह..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभय राज सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:

(i i) प्रतिवादी संख्या 2-अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद/प्रयागराज को आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए कि वे अपील संख्या 01568/2018 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C C201802000001568 (मकबूक अहमद बनाम शिवराज सिंह और अन्य), धारा 207 के तहत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के समक्ष 11.10.2018 से लंबित मामले का निपटारा करें, यदि संभव हो तो निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि v उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2-अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) इलाहाबाद मंडल इलाहाबाद/प्रयागराज में 11.10.2018 को कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या CC201802000001568 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। आगे तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

4. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2-अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद/प्रयागराज इस मामले में शीघ्र ही उचित निर्णय लेंगे।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आवेदन पर उचित आदेश जल्द से जल्द, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पारित करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की योग्यता पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

टी.एस.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"